

तारीख
हुक्म

17 12
24

पक्षावली पैसा वकील पार्की / पार्की का
आवाप लगाई गई। बार-बार आवाप लगा
के वापस भी वकील पार्की / पार्की आवाप
में एप्लेट बनी होने से पार्की का
आवेदन 28-11-20 को एप्लीकेशन अदालत
में खारिज किया गया है। पक्षावली
फैसल सुनाए होकर तब तक होकर
वापिस दफ्तर हो Demond.